(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र में परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मै॰ नय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि॰ के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया गया है। प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि स्थल पर कार्य 1.1.98 से आरंभ करने तथा 31.12.2002 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

विन्ध्याचल विद्युत परियोजना की पुनर्वास योजना

3600. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विन्ध्याचल विद्युत परियोजना में व्यापक पुनर्वास कार्य योजना को कार्यान्वित करने एवं विस्थापितों को राहत दिलाने संबंधी समस्या के बारे में एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऊर्जा मंत्रालय तथा विश्व बैंक को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे; और

(ख) यदि हां, इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सीधी जिले के विंध्याचल क्षेत्र के कई गैर-सरकारी संगठन सक्रिय हैं जहां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने एक सुपर ताप विद्युत केंद्र यथा विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित की है। समय-समय पर गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तथा जब भी आवश्यकता होती है, भू-विस्थापितों, एनजीओ, राज्य सरकार तथा एनटीपीसी के प्रतिनिधियों की ग्राम विकास सलाहकार समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। परियोजना प्राधिकारी भी जब कभी संभव होता है, अपेक्षित कार्रवाई करते हैं।

परियोजना के चरण-I के लिए कुल 2330 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को मुआवजा प्राप्त हुआ है। भू-विस्थापितों के लिए आरंभ किए गए विभिन्न पुनर्वास संबंधी उपायों में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना में नियमित रोजगार, संविदात्मक ऐजेंसियों के जरिये रोजगार, छोटी-मोटी संविदाएं, वेंडरों के लाइसेंस प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों जैसे बढ़ईगिरि, टंकन, वेल्डिंग, सिलाई, कालीन-बुनाई इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। परियोजना के चरण-2 के लिए कुल 824 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने मुआवजा प्राप्त किया है। इनमें से 226 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने क्षेत्र को छोड़ दिया है जब कि शेष 598 परियोजना प्रभावित व्यक्ति एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्वास कार्य योजना में शामिल हैं।

Power connections to Tribal Households

3601. SHRI AHMED PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued any guidelines to the states for providing power connections to tribal households on priority;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether power connections were provided to tribal households on priority in Gujarat during the last three years;

(d) if so, the details thereof, yearwise; and

(e) by when Government propose to provide power connections to all the tribal households in Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Providing power connections to tribal households is regulated by the priority laid down by the various State Governments. However, to improve the quality of life. Government of India through Rural Electrification Corporation provides grants to the States for release of single-point light connections to the households of rural poor below the poverty line, including those belonging to Tribals and other weaker sections of the society. Presently the amount of grant is Rs. 1000/- per connecton with meter and Rs. 800/- per connection without installation of meter.

(c) As informed by Gujarat Electricity Board, there is no provision for giving priority to release household connections to tribals in case of a general demand. However, the State Government is